संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/100/05/2022 दिनांकः 13 मई 2022

सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)

विषयः निम्नलिखित के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये मोटर बीमा विज्ञापन

(i) अन्य पक्ष सेवा प्रदाताओँ की अतिरिक्त सेवाएँ

(ii) छूटें, राशियों की बचत आदि।

साधारण बीमा कंपनियाँ दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की मरम्मत के लिए मोटर बीमा दावा सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए मोटर वर्कशापों/गराजों के साथ सेवा करार करती हैं। यह देखा गया है कि उक्त सेवा करारों में दावा सेवाओँ के अतिरिक्त, कुछ सहायता सेवाएँ शामिल हैं जो बीमा दावों से संबंधित नहीं हैं, जैसे निःशुल्क पिक अप और ड्राप वाहन, बाडी वाश, आंतरिक सफाई, वाहन का निरीक्षण आदि।

2. जबकि बीमा के साथ उपर्युक्त सुविधाओँ का समूहन मोटर सेवा प्रदाताओँ पर छोड़ दिया जाता है, साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा इन्हें बीमा कवर के अंदर प्रदत्त लाभों के रूप में दर्शाते हुए उपर्युक्त सेवाओँ के संबंध में विज्ञापन जारी करना अस्वीकार्य है। मोटर गराजों/वर्कशापों के साथ सेवा करारों का मुख्य उद्देश्य केवल दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के दावों के लिए बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराना होगा तथा ऐसी सेवाओं के दायरे को शामिल करने के लिए इसमें मनमाने ढंग से विस्तार नहीं किया जा सकता जो बीमा दावों के लिए संगत नहीं हैं।

3. कुछ प्रतिशत तक छूटों, प्रीमियम में बचत आदि को दर्शाते हुए कुछ साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों और उनमें दिये गये निदर्शनों (इलस्ट्रेशन्स) का अवलोकन करने पर विदित होता है कि उक्त विशेषताएँ अथवा लाभ चरम अथवा अपवादात्मक परिदृश्यों के अंतर्गत लागू हैं जैसा कि आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के विनियम 3(छ)(xiv) के अंतर्गत परिभाषित है। कुछ विज्ञापनों में छूटें फाइल की गई दरों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं दर्शाई गई हैं, बल्कि पूर्व के प्रशुल्क (टैरिफ़) की दरों की तुलना में व्यक्त की गई हैं। यह नहीं किया जाना चाहिए।

4. यह मानते हुए कि मोटर प्रीमियम दरें उद्धृत करना बहुविध कारकों और विभिन्न जोखिमों पर आधारित है, उपर्युक्त विज्ञापनों की अंतर्वस्तुएँ जो चरम और अपवादात्मक परिदृश्यों के अंतर्गत लागू हो सकती हैं, बड़ी संख्या में संभावित ग्राहकों को गलतफहमी में डालेंगी।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार उक्त बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वेः

(क) ऐसी सेवाओँ के संबंध में विज्ञापन बंद करें जो बीमा दावों से संबंधित नहीं हैं, जैसी कि मोटर गराजों/ वर्कशापों के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
(ख) पूर्व के प्रशुल्क (टैरिफ) की दरों के संदर्भ में अथवा उनकी तुलना में छूटें प्रदर्शित करना बंद करें।
(ग) यह सुनिश्चित करें कि प्रीमियम में छूटें और बचत जो केवल चरम अथवा अपवादात्मक परिदृश्यों में ही लागू हो सकती हैं, उदाहरणों के रूप में प्रदर्शित न की जाएँ।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें और इसकी विषय-वस्तु को नोट करने की पुष्टि करें।

यज्ञप्रिया भरत
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)